डीजी-परिपत्र संख्या-30/2017

सुलखान सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तरप्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः अगस्त 24, 2017

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि वर्तमान परिवेश में मोबाइल फोन का प्रयोग जनमानस के लिए अपरिहार्य होता जा रहा है। जहाँ एक ओर हम इसका उपयोग करके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का सरलीकरण करतें हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधी व अराजक तत्वों द्वारा अपनी अवांछनीय गतिविधियों को अन्जाम देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे असमाजिक तत्वों द्वारा अपनी गतिविधियों की गोपनीयता बनाये रखने के उद्देश्य से फर्जी प्रपत्रों के आधार पर सिम प्राप्त कर उपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सही स्थिति की जानकारी कर पाना पुलिस के लिए दुष्कर कार्य होता है।

ऐसे असमाजिक तत्वों को फर्जी परिचय पत्र के आधार पर सिम उपलब्ध कराने में कतिपय सिम विक्रेता की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्तता होती है। आवश्यक है कि ऐसे सिम कार्ड विक्रेता को चिन्हित करते हुये उन पर सतत् निगरानी रखी जाये एवं सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये ऐसे विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्तीकरण कराया जाये ताकि अवांछनीय तत्वों द्वारा फर्जी परिचय पत्र के माध्यम से उपलब्ध होने वाले ऐसे सिम कार्ड पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना सम्भव हो सके। कृपया इस सम्बन्ध में थानावार निम्नलिखित प्रारूपानुसार रजिस्टर बनाकर कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायी जाये।

क्रम संख्या	थानान्तर्गत सिम कार्ड विक्रेताओं का विवरण	ऐसे विक्रेताओं का विवरण जो फर्जी परिचय पत्र के आधार पर उपभोक्ताओं को सिम प्रदान कर रहे हैं।	ऐसे विक्रेताओं के विरूद्व कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4

मै चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में प्रकाश में आये ऐसे सभी सिम कार्ड विक्रेताओं के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की जाये , ताकि इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम की जा सके।

भवदीय,

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।